

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा किए गये सराहनीय कार्यों का विवरण

घर में घुसकर नाबालिग से छेड़छाड़ करने के अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 547/20 धारा 354/452/506 भा0द0वि0 में वाँछित अभियुक्त नाम पता दिलीप चौहान पुत्र फूल सिंह निवासी गोरयाभार थाना कोतवाली खलीलाबाद को गिरफ्तार किया गया।

विदित हो कि अभियुक्त द्वारा दिनांक 29.09.2020 को वादी के घर में घुसकर उसकी नाबालिग पुत्री के साथ छेड़छाड़ करते हुए जानमाल की धमकी दी गयी थी जिसके उपरान्त थाना कोतवाली खलीलाबाद द्वारा दिनांक 29. 09.2020 को वादी की लिखित तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसमें आज दिनांक 01.10.2020 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय खाना किया गया।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) में 07 अभियुक्त गिरफ्तार

- थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी में 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- थाना धनघटा पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी में 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- थाना महुली पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी में 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी में 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1488 द्वारा दो पक्षों में मारपीट / विवाद को कराया गया शान्त – पीआरवी 1488 को थाना महुली के सिकरी से इवेन्ट संख्या 01055 से किसी बात को लेकर दो पक्षों में मारपीट / विवाद होने से एक व्यक्ति के घायल होने के सम्बन्ध में सूचना दिया। सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा तत्काल 07 मिनट में मौके पर पहुँचकर मारपीट में घायल व्यक्ति को जरिये एम्बुलेंस से प्रा0स्व0 केन्द्र नाथनगर भेजवाया गया तथा घटना के सम्बन्ध में थाना महुली को सूचित किया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुँचकर घायल व्यक्ति को अस्पताल भेजवाकर उसकी जान बचाई गयी, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

पीआरवी स्टाफ – मु0आरक्षी देवब्रत पाण्डेय, हो0चा0 बन्धु प्रसाद।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 132 वाहनो से 136900 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया आज दिनांक 01-10-2020 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 132 वाहनो से 136900 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।